

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(धूम-2)विभाग

क्रमांक:पं04(1)चिस्वा/2/2023/एन-465

जयपुर,दिनांक

आदेश

डॉ नटवर सिंह भाटी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री जवाहिर चिकित्सालय, जैसलमेर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम,1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2023 से सर्वेच्छक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ भाटी के विरुद्ध आज तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग, जोधपुर।
- 3- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री जवाहिर चिकित्सालय, जैसलमेर।
- 4- डॉ नटवर सिंह भाटी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री जवाहिर चिकित्सालय, जैसलमेर ।
- 5- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.02.28 18:39:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3256903



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/एन-465/2023/125

दिनांक : 17/03/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 27.02.2023 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री जवाहिर चिकित्सालय, जैसलमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
6. डॉ० नटवर सिंह भाटी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री जवाहिर चिकित्सालय, जैसलमेर द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी की ई-मेल आईडी पर आज ही अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।